D

X

प्रारूप – एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

पत्र क./ 11041 /भू–अर्जन/2024 दिनांक 05-08-2024

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनूसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रायोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्:–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कटघोरा	बिरदा	2.789 हे.	हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला – इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06/09/24 समय .... बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन **बिरदा** में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला – इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 20 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 20 परिवार
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है? : हॉ
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? : हॉ
8. परियोजना की कुल लागत : रू. 199.20 करोड़
9. परियोजना से होने वाले लाभ : मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेगें तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा।
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय व्यय का प्रावधान किया गया है।
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक: निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति का कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. कोरबा संभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सह. भू–अर्जन अधिकारी
कटघोरा

(अजीत वसंत)
कलेक्टर
जिला–कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग